आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 23.09.2024 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग को गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निजी तौर पर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध बताया।
- राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए बजट जारी नहीं किए जाने पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने नाराज़गी जताई।
- ऋषिकेश में आज से ब्रह्मपुरी और मरीन ड्राइव से रिवर राफ्टिंग शुरू।

कार्ययोजना निर्देश 01

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग को गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य–एसडीजी सूचकांक 2023–24 के तहत विभिन्न सूचकांको में सुधार के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल के लिए टोल फ्री नम्बर 104 के माध्यम से ए०एन०एम द्वारा की जाने विजिट की ट्रैकिंग के निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना के निर्देश देते हुए उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था के लिए एन.आई.वी.एच सहित चार प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने एसडीजी सूचकांक के तहत निजी क्षेत्र में प्रबन्धकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ाने के लक्ष्य के सम्बन्ध में श्रम विभाग को नोडल बनाते हुए इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील विडियो देखना पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने देशभर की सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज यह निर्देश मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए दिए। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि बच्चों से जुड़ीं अश्लील विडियो देखना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के फैसले में सुझाव दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के स्थान पर न्यायालय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री–सीएसईएएम शब्द का प्रयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद को

वैकल्पिक शब्द पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस बीच, केंद्र सरकार पॉक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है।

नाराज़गी

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए बजट जारी नहीं किए जाने पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने नाराज़गी जताई है। उन्होंने इसके लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर अगामी कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि प्रदेश के लगभग एक लाख चौरासी हजार परिवार मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना का लाभ ले सकें। खाद्य मंत्री ने आज विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही केन्द्र तथा राज्य पोषित योजनाओं और अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की। सरकार की योजनाओं को घर–घर तक पहुंचाने की समीक्षा करते हुए श्रीमती आर्या ने कहा कि मैदानी जिलों में लगभग 99 प्रतिशत डोर स्टेप डिलिवरी योजना का काम निरंतर रूप से संचालित हो रहा है जबकि पिथौरागढ़ को छोड़कर अन्य पहाड़ी जिलों में डोर स्टेप डिलिवरी योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने इस महीने के अंत तक पिथौरागढ़ में भी डोर स्टेप डिलिवरी सेवा का काम पूरा करने के निर्देश दिए।

रिवर राफ्टिंग

ऋषिकेश में आज से ब्रह्मपुरी और मरीन ड्राइव से रिवर राफ्टिंग शुरू कर दी गई है। बरसात के कारण 30 जून को गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया गया था। रिवर राफ्टिंग शुरू होने से पर्यटकों में उत्साह है, वहीं स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। जिला साहसिक पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि देश के कई राज्यों से पर्यटक शहर में पहुंचने लगे हैं और आज बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस राफ्टिंग प्वाइंटों से राफ्टिंग की। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर अधिक होने से अभी मरीन ड्राइव से शिवपुरी, ब्रह्मपुरी से रामझूला, नीमबीच तक ही राफ्टिंग का संचालन होगा। नदी का जलस्तर कम होने के बाद क्लब़ हाउस, कौडियाला समेत अन्य राफ्टिंग प्वाइंटों को भी राफ्टिंग के लिए खोल दिया जाएगा।

वनाग्नि नियंत्रण

बागेश्वर जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जंगल में लगने वाली आग से वन संपदा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग, हंस फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को फायर फाइटर का प्रशिक्षण दे रहा है। सभी फायर फाइटर महिलाओं का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में महिलाओं को जंगलों में लगी आग को बुझाने के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। इन महिलाओ का प्रशिक्षण के बाद पांच लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। साथ ही इनको सुरक्षा किट भी दी जाएगी।

प्रभागीय वनाधिकारी जी एस मर्तोलिया ने बताया कि शुरुआत में जिले के 200 राजस्व गांवों की ग्यारह सौ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद भी लगातार इच्छुक महिलाओ को प्रशिक्षण दिया

जाएगा। गौरतलब है कि बागेश्वर जिले के जंगलों में इस फायर सीजन में काफी ज्यादा आग लगी। हालाकि गरुड़ क्षेत्र के कई गांवों में स्थानीय महिलाओं ने हंस फाउंडेशन के साथ जुड़कर जंगल की आग को शांत करने का प्रयास किया। इससे जंगलों की आग बुझाने में काफी सहायता भी मिली।

प्रशिक्षण

नई टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के पैरा लीगल स्वयंसेवकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। प्रशिक्षण में 71 स्वयंसेवको को प्रशिक्षित कर उन्हें गांव–गांव में लोगों को कानूनी सेवाओं की जानकारी देने का आह्वान किया गया।

क्रीडा सभागार में प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने कहा कि पैरा लीगल स्वयंसेवक धरातल स्तर पर लोगों को कानूनी जानकारी देने का बेहतर माध्यम है। सरकार की योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समय–समय पर पैरा लीगल स्वयंसेवकों को क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतिम दिन आज आपदा प्रशिक्षण प्रोग्राम के तहत स्वयं सेवियों को प्राथमिक चिकित्सा, स्ट्रेचर बनाना, रोप रेस्क्यू का अभ्यास और आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए।

गंगा स्वच्छता

चमोली जिले में गंगा संरक्षण को लेकर चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाएगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष योजना पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कर्णप्रयाग में निर्माणाधीन तीन एसटीपी का उप जिलाधिकारी, जल संस्थान, जल निगम और खनन अधिकारी का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद ही इसमें आ रही कमियों का निराकरण करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के निर्देश भी दिए।